न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय ग्वालियर केम्प भोपाल म0प्र0

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा/2017/4368

निगरानी कमाकः–

प्रस्तुत दिनांकः–

गोविन्द पिता बिरजा नाई उम्र 58 वर्ष धंधा काश्तकारी निवासी रीछी, तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद–आवेदक

बनाम

1. गंगाविशन पिता बिरजा नाई उम्र 77 वर्ष धंधा कृषि निवासी ग्राम सतवास पुर्नवास, तहसील कन्नौद देवास
2. श्रीमति उषा पत्नि गणेश नाई निवासी छनेरा तहसील हरसूद जिला खण्डवा म0प्र
3. श्रीमति आशाबाई पत्नि ओमप्रकाश नाई निवासी ग्राम गोंदागांव तहसील टिमरनी जिला हरदा म0प्र0
4. अशोक कुमार पिता शंकरलाल नाई निवासी कांसखेड़ी तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद म0प्र0
5. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय सिवनी मालवा तहसील सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद म0प्र0 ––अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

आवेदक द्वारा यह निगरानी श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सिवनी मालवा द्वारा राजस्व अपील कमाक 23अ/27वर्ष 15–16 ग्राम रीछी मे पारित आदेश दिनांक 4/9/2017 एवं 4/10/2017से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 178 म0प्र0भू0रा0सं0 का श्रीमान तहसीलदार सिवनी मालवा के समक्ष बंटवारा कराये जाने बाबत प्रस्तुत किया जिसमें भूमि खसरा नंबर 232 रकबा 0.024 है0 खसरा नंबर 148 रकबा

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/2017/4368

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 29-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	